महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और इन्हें रोकने वाले होंगे सम्मानित

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला सशक्तीकरण एवं सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने एवं इसे रोकने का प्रयास करने वालों को सम्मानित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा।
- इसके अलावा समाज की कुरीति, बाल विवाह की पूर्वसूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति- पत्र दिया जाएगा।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर 'अपनी वाणी' की शुरुआत की एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया।
- उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये विभाग की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। एकल महिलाओं को भी सशक्त करने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिये योजना शुरू करने का संकल्प लिया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/those-who-report-and-stop-violence-against-women-and-child-marriage-will-be-honored